इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 198]　　भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 मई 2019—वैशाख 27, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ ए 3-33-2017-1-पांच (42)　　भोपाल, दिनांक 17 मई 2019

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की अनुशंसा पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-33-2017-1-पांच (42) दिनांक 5 अगस्त, 2017 में एतदद्वारा और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची III-9% में, कॉलम (1) में क्रम संख्या 452P और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)
"452Q	कोई अध्याय	आरईपी के निर्माण हेतु किसी प्रोमोटर को किसी अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में अध्याय शीर्षक 2523 के अंतर्गत आने वाले पूंजीगत माल और सीमेंट के अलावा किसी माल की आपूर्ति जिस पर इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-17/2019/1/पांच (41) दिनांक 17/05/2019 में यथा निर्धारित, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 9 की उप- धारा 4 के अंतर्गत माल की प्राप्तिकर्ता के रूप में

		प्रोमोटर द्वारा कर अदा किया गया हो स्पष्टीकरण – इस प्रविष्टि के उद्देश्य से- (i) "प्रमोटर" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेगूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 12) की धारा 2 की उपवाक्य (यट) में दिया गया हो। (ii) प्रोजेक्ट से अभिप्रायः किसी रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) या रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP) से है (iii) रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) का वही अभीप्रायः होगा जो इसके लिए रीयल इस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट , 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के उपवाक्य (यढ) में दिया गया हो।
		(iV) "रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP)" का अभिप्रायः उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) से होगा जिनमें किसी वाणिज्यिक अपार्टमेंट्स का कारपेट एरिया उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) के सभी अपार्टमेंट्स के कुल कारपेट एरिया के 15% से अधिक न हो। (V) यह प्रविष्टि सभी वस्तुओं पर लागू किए जाने हेतु ली जानी है जो यहां दी गई शर्तों को पूरा करती है, चाहे वे इस अधिसूचना में कहीं और किसी अधिक विशिष्ट अध्याय/शीर्षक/उप शीर्षक या टैरिफ मद द्वारा कवर किए जाएं ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2019

क्र. एफ. ए-3-33-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-33-2017-1-पांच (42), दिनांक 17 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

No. F-A-3-33-2017-1-V(42) Bhopal, the 17th May 2019

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub- section (5) of section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department notification No. F A-3-33-2017-1-V(42) dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in Schedule III - 9%, after serial number 452P in column (1) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"452Q	Any chapter	Supply of any goods other than capital goods and cement falling under chapter heading 2523 in the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), by an unregistered person to a promoter for construction of the project on which tax is payable by the promoter as recipient of goods under sub- section 4 of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), as prescribed in this department notification No. [illegible] dated [illegible]/2019 *Explanation.* For the purpose of this entry,- (i) the term "promoter" shall have the same meaning as assigned to it in in clause (zk) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016). (ii) "project" shall mean a Real Estate Project (REP) or a Residential Real Estate Project (RREP). (iii) the term "Real Estate Project (REP)" shall have the same meaning as assigned to it in in clause (zn) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016). (iv) "Residential Real Estate Project (RREP)" shall mean a REP in which the carpet area of the commercial apartments is not more than 15 per cent. of the total carpet area of all the apartments in the REP. (v) This entry is to be taken to apply to all goods which satisfy the conditions prescribed herein, even though they may be covered by a more specific chapter/ heading/ sub heading or tariff item elsewhere in this notification.

2. This notification shall deemed to have come into effect from the 1st day of April, 2019.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIYA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.